निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 29 वर्ष 2018-2019

यह निरीक्षण प्रतिवेदन, मुख्य अभियंता, यांत्रिक सिचाई विभाग देहरादून, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य अभियंता, यांत्रिक सिचाई विभाग देहरादून के माह 07/2017 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक, श्री पंकज कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 23/07/2018 से 26/7/2018 तक श्री एस के त्यागी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी के श्रीवास्तव व सुनील कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 13/07/2017 से 18/7/17 तक श्री जे एम एस रावत वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह..... से..... तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2017 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः सिचाई विभाग का कार्य यह की निर्माण कार्य के रूप मे सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, पूर्ण उत्तराखंड ।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (अवशेष)
2015-2016	-	-	-	-			-	-

2016-2017	-	-	30.31	30.26			0.05	-
2017-2018	-	-	137.79	137.60			0.19	

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (धनराशि रु लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम (नाबार्ड)	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
		शून्य			

(iii) इकाई को बजट आवंटन .....द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई का आवंटन स्रोत राज्य सरकार है ।

(iv) इकाई की श्रेणी "सी" है।

(v) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाय)

(1) सचिव , सिचाई विभाग उत्तराखंड शासन ।

तकनीकी संवर्ग मे:

(2) प्रमुख अभियंता (विभागाध्यक्ष) (3) मुख्य अभियंता, गड़वाल क्षेत्र स्तर -2, मुख्य अभियंता, कुमायु हल्द्वानी, मुख्य अभियंता प्रशिक्षण संस्थान कलागड़,मुख्य अभियंता परियोजना गड़वाल यमुना कालोनी देहारादून, मुख्य अभियंता परिकल्प रुड़की , मुख्य अभियंता यांत्रिक देहरादून।

(4) अधीक्षण अभियंता, सिचाई कार्य मण्डल रुद्रप्रयाग (5) अधिशासी अभियंता

(6) सहायक अभियंता

(7) कनिष्क अभियंता

गैर तकनीकी संवर्ग मे :

(1) वित्त नियंत्रक , (2) खंडीय लेखाकार (3) सहायक लेखाधिकारी (4) प्रशासनिक अधिकारी (5) लेखाकार (6)प्रधान सहायक ,(7) वरिष्ठ सहायक ,(8) कनिष्क सहायक ।

(vi) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **मुख्य अभियंता, यांत्रिक सिचाई विभाग, देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य अभियंता, यांत्रिक सिचाई विभाग, देहरादून,** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 04/2017 एव 04/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन व्यय के आधार पर किया गया ।

(vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक .. .. से ... तक..... निरीक्षण किया गया। (शून्य)
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह ..... तथा ..... तक की गई।
5. फार्म 51: माह ..... तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः- (धनराशि रु मे)।

   भाग प्रथम ..

   भाग द्वितीय ..

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह .. के अन्त में (धनराशि रु मे)

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम...

(ख) सामग्री क्रय....शून्य

(ग) नगद परिशोधन....शून्य

(घ) निक्षेप.... (रु मे) -----

(ङ) भण्डार.... ---------

भाग–2(ब)

प्रस्तर (1) – धनराशि रू0 4.96 करोड़ का व्ययावर्तन एवं धनराशि रू0 2.08 करोड़ के लम्बित दायित्व

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि आवंटित धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जाना चाहिए जिन मदों में शासन से आवंटन प्राप्त किया गया है।

मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई विभाग, देहरादून के अभिलेखों की जांच के दौरान संज्ञान में आया कि विभाग द्वारा स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत रखे गये लिफ्ट आपरेटरों के वेतन का भुगतान अनुरक्षण मद (2702–03–102–03–00–29) में प्राप्त आवंटन से किया जा रहा था। अनुरक्षण मद से लिफ्ट आपरेटरों **को** भुगतान किये गये वेतन का विगत पांच वर्षों (वर्ष 2012–13 से 2017–18 तक) के योग का खण्डवार विवरण निम्नवत् है :–

(` लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	अनुरक्षण मद में प्राप्त आवंटन			आवंटन के सापेक्ष व्यय		
		नलकूप	लिफ्ट	योग	अनुरक्षण मद में	वेतन मद में	योग
1	लघुडाल खण्ड, उत्तरकाशी	22.60	71.50	**94.10**	31.65	62.26	**93.91**
2	लघुडाल खण्ड, श्रीनगर	65.23	50.47	**115.70**	63.64	52.06	**115.70**
3	नलकूप खण्ड, टनकपुर	56.60	6.00	**62.60**	59.77	2.83	**62.60**
4	नलकूप खण्ड, रामनगर	516.37	145.70	**662.07**	580.52	81.55	**662.07**
5	लघुडाल खण्ड, अल्मोड़ा	शून्य	378.23	**378.23**	106.68	271.55	**378.23**
6	लघुडाल खण्ड, पिथौरागढ़	शून्य	38.10	**38.10**	12.11	25.99	**38.10**
योग (वेतन मद में व्यय का)		**1350.80 (13.51 करोड़)**			**496.24 (4.96 करोड़) (36.7%)**		

स्पष्ट है कि विगत पांच वर्षों में विभाग द्वारा अनुरक्षण मद में आवंटित राशि का 36% लिफ्ट आपरेटरों के वेतन पर व्यय किया गया था, जबकि विभाग के पास अनुरक्षण मद से लिफ्ट आपरेटरों को भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग/शासन का कोई आदेश नहीं था। इसके अतिरिक्त विभाग पर लिफ्ट आपरेटरों के वेतन के रूप में जून 2018 तक रू0 208.80 लाख की देनदारियां भी लम्बित थी जिसके लिए प्रमुख अभियन्ता (बजट अनुभाग) से धनराशि की मांग मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक) स्तर से की गयी थी। लम्बित देनदारियों का खण्डवार विवरण निम्नवत् है :–

क्र0सं0	खण्ड का नाम	लिफ्ट देनदारियां / (वेतन) (रू0 लाख में)
1	नलकूप खण्ड, देहरादून	9.00
2	लघुडाल खण्ड, उत्तरकाशी	82.00
3	लघुडाल खण्ड, श्रीनगर	31.00
4	लघुडाल खण्ड, अल्मोड़ा	41.00
5	लघुडाल खण्ड, पिथौरागढ़	42.00
6	लघुडाल खण्ड, टनकपुर	3.80
योग		**208.80**

उक्त के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि लघुडाल लिफ्ट नहरों के संचालन हेतु स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत पम्प आपरेटर स्वीकृत SOR (न्यूनतम) के आधार पर रखे जाते है। जिनका भुगतान किया जाता है।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि अनुरक्षण मद में प्राप्त धनराशि का उपभोग अनुरक्षण व यांत्रिक दोष दूर करने अथवा दोषमुक्त नलकूपों को नियमित रूप से ठीक कर चालू करने हेतु किया जाता है। विभाग के पास अनुरक्षण मद से दैनिक कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन से कोई निर्देश प्राप्त नहीं थें।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर संख्या-:2 रु 1409.01 लाख धनराशि के कार्यो का नियमानुसार निरीक्षण नहीं किया जाना ।

अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 46(1) के अनुसार पर्यवेक्षक अभियन्ता द्वारा कार्य का निरन्तर निरीक्षण किया जाय ताकि यह सुनिश्चित हो कि कार्य संविदा में विहित विषिष्टताओं के अनुसार क्रियान्वयन किया जा रहा है। निरीक्षण का उद्देष्य यह भी है कि परियोजना के क्रियान्वयन में गतिरोध को चिन्हित कर उसका निवारण किया जाये।

(2) गुणवत्ता के मानकों को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद में ''गुणवत्ता विश्वसनीयता प्रकोष्ठ'' (क्वालिटी एष्योरेन्स सेल) बनाया जायेगा जिसमें अनुभवी तकनीकी कार्मिक/अभियंता होंगे और जो निष्पादित किये जा रहे निर्माण कार्य व सामग्री तथा कार्य पूर्ण होने के तीन माह के अन्दर गुणवत्ता का अनुपालन सुनिश्चित करेंगें। गुणवत्ता विश्वसनीयता प्रकोष्ठ का प्रमुख (हेड) वरिष्ठ अधिकारी होगा जो सीधे विभागाध्यक्ष तथा शासन के अधीन होगा और वह सामान्यतया कम से कम तीन माह या विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार, अपनी आख्या प्रस्तुत करेगा। यह प्रकोष्ठ रु0 1,00,00,000 (रू0 एक करोड़) से अधिक लागत के निर्माण कार्यों के गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करेगा। रु0 1,00,00,000 (रू0 एक करोड़) से कम लागत के कार्य को समय से एवं गुणवत्तायुक्त पूर्ण कराने का दायित्व विभागीय अधिकारी का होगा। सड़क के कार्य को छोड़कर रु0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) से कम लागत के कार्यों की गुणवत्ता को उक्त कार्य के क्रियान्वयन करने वाले निर्माण अभिकरण सम्बधित के तकनीकी अधिकारी तथा विभाग के स्थानीय अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। ऐसे कार्य के लिए, जिनकी लागत रु0 5,00,00,000 (रू0 पांच करोड़) से अधिक हो, विभागाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे कि अनुभवी एवं ख्यातिप्राप्त बाहरी सलाहकार या विषेषज्ञों से युक्त एक स्वतंत्र ''तृतीय निरीक्षण प्राधिकारी'' (थर्ड पार्टी इन्सपैक्षन) नियुक्त किया जाये। यदि विभागाध्यक्ष के पास ऐसे तृतीय निरीक्षण प्राधिकारी गठन करने के संसाधन उपलब्ध न हों तो रु0 5,00,00,000 (रू0 पांच करोड़) से अधिक कार्य हेतु राज्य स्तरीय ''तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ'' द्वारा उन कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कम से कम वर्ष में एक बार तथा निर्माण कार्य की निरन्तरता के दौरान कम से कम दो बार अवश्य किया जाये एवं सिचाई मेनुवल के अनुसार The Chief Engineer will frequently visit important works and make a detailed inspection of a few selected channels each year. At each inspection he will satisfy himself that the orders passed by him in his previous inspection note have been carried out.

लेखापरीक्षा तिथि तक एक करोड़ से अधिक लागत के निर्माण कार्यो पर रु 1409.01 लाख व्यय किया जा चुका है परंतु लेखापरीक्षा मे पाया गया कि मुख्य अभियंता द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है जिला ''गुणवत्ता विश्वसनीयता प्रकोष्ठ'' (क्वालिटी एष्योरेन्स सेल) का गठन नहीं किया गया है एवं राज्य स्तरीय ''तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ'' का गठन नहीं किया गया है एवं तृतीय पक्ष से निरीक्षण भी नहीं कराया गया है । इस संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि नियमित रूप

से निरीक्षण किया जाता है, गुणवत्ता विश्वसनीयता प्रकोष्ठ'' (क्वालिटी एष्योरेन्स सेल) भी गठित है तृतीय पक्ष निरीक्षण के संबंध मे बताया की कुम्भ के कार्यो का कराया गया है ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योकि किसी के संबंध मे भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गए है ओर तृतीय पक्ष से भी निरीक्षण सभी 5 करोड़ से अधिक के कार्यो का किया जाना है ।

अत: रु 1409.01 लाख धनराशि के कार्यो को नियमानुसार निरीक्षण नहीं किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है एवं गुणवत्ता सत्यापित नहीं की जा सकती है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
इकाई की विगत लेखापरीक्षा पत्रावली उपलब्ध नहीं थी ।		
योग	**00**	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			प्रथम लेखापरीक्षा है ।	

भाग IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **मुख्य अभियंता, यांत्रिक सिचाई विभाग, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(1)	श्री एन के शर्मा	मुख्य अभियंता
(2)	श्री एन के यादव	मुख्य अभियंता

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **मुख्य अभियंता, यांत्रिक सिचाई विभाग, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 ,को प्रेषित की जाए ।

4.विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

(शून्य)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र- II